<u>7 अप्रैल, 2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का अभिभाषण</u>

नमस्कार,

भारत की माननीया राष्ट्रपति **श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी,**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश **डॉ न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी,**

असम के माननीय मुख्यमंत्री **डॉ हिमंत बिस्व सर्मा जी,**

माननीय केंद्रीय कानून मंत्री **श्री किरेन रिजिजू जी,**

गौहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति **संदीप मेहता जी**,

गौहाटी उच्च न्यायालय के सभी पूर्व एवं वर्तमान माननीय न्यायाधीशगण,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सचिव, बार के सभी विद्वान अधिवक्तागण,

सभी सम्मानित अतिथिगण,

देवियों और सज्जनों!

गौहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह पर माननीया राष्ट्रपति जी के साथ मंच साझा करने का अवसर पाकर मैं अति प्रसन्न हूं।

मैं इस अवसर उन सभी माननीय न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं, उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के सदस्यों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित संस्थान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है।

किसी संस्था की प्लेटिनम जुबली का उत्सव उस संस्था के इतिहास में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है। यह न केवल इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि आम जनता के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण घटना है, जो इतने लंबे वर्षों में गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सेवा से लाभान्वित हुए हैं।

न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। यह न्यायपालिका ही है जो संविधान और कानून की व्याख्या करती है। कानून का पालन कराती है। न्याय दिलाती है। कानून के शासन Rule of Law की रक्षक है। यह सभी नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता के प्रवर्तक के रूप में पवित्र भूमिका निभाती है।

स्वतंत्रता के बाद, 9 सितंबर, 1947 को असम विधान सभा ने असम प्रांत के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव लिया। भारतीय प्रांतीय संविधान आदेश (संशोधन), 1948 द्वारा अपनाई गई भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 229 की उप) धारा-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 1

मार्च, 1948 को उस प्रस्ताव को पारित किया। असम उच्च न्यायालय आदेश, 1948, असम के तत्कालीन प्रांत के लिए 5 अप्रैल, 1948 से असम उच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। सर रोनाल्ड फ्रांसिस लॉज ने 5 अप्रैल, 1948 को असम उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। असम उच्च न्यायालय की शुरुआत शिलांग में हुई थी, लेकिन 14 अगस्त, 1948 को गुवाहाटी में स्थानांतरित कर दिया गया। नागालैंड राज्य के गठन के बाद 1 दिसंबर, 1963 से इस न्यायालय को असम और नागालैंड के उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम (पुनर्गठन), 1971 के प्रभाव में आने के बाद, पाँच उत्तर पूर्वी राज्य असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा और दो केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश -के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय समान न्यायालय के रुप में कार्य करने लगा। वर्ष 2013 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लिए अलगअलग उच्च न्यायालयों की - स्थापना के बाद, अब गौहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। कालान्तर में, गुवाहाटी में मुख्य बेंच के अलावा तीन बारी बैंच नागालैंड, मिजोरम वं अरुणाचल प्रदेश में स्थापित हुई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की नागालैंड में 1 दिसंबर, 1972 को स्थापित तीन बाहरी बेंच हैं, 5 जुलाई, 1990 को आइजोल बेंच की स्थापना हुई और 12 अगस्त, 2000 को

ईटानगर बेंच की स्थापना हुई।

प्लेटिनम जुबली उन सभी माननीय न्यायाधीशों को याद करने का भी एक अवसर है जो बेंच का हिस्सा थे और उन सभी वकीलों को जिन्होंने बार के एक हिस्से के रूप में इस संस्था को न्याय दिलाने में मदद की। जब मैंने इस महान संस्था के इतिहास पर नज़र डाली तो मुझे बहुत सारे महान न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित वकीलों के नाम मिले, उनमें से कई न्यायाधीश बने, और उसके बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उनमें से कुछ सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए।

मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च पद, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया। मुझे इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले फखर उद्दीन अली अहमद का नाम इस प्रतिष्ठित संस्था के गलियारे से ही मिलता है। जब हम गौहाटी उच्च न्यायालय के बारे में सोचते हैं तो स्वर्गीय दिनेश गोस्वामी, जो बाद में केंद्रीय कानून मंत्री बने और स्वर्गीय जगदीश चंद्र मेधी, स्वर्गीय जेभट्टाचार्य .पी., स्वर्गीय जय चंद्र गोस्वामी, दीना मेधी, पूर्णेंदु चौधरी जैसे अन्य दिग्गजों के नाम आते हैं। गुनोजीत तालुकदार, सरोज कुमार सेन, सत्येंद्र मोहन लाहिड़ी, किरणमय लाहिड़ी, कनकेश्वर सरमा, सुरेंद्र नाथ मेधी, दुरलव चंद्र महंत, अमृत कुमार फुकन,

निलोय दत्ता, अब्दुल मुहिब मजूमदार, और कई अन्य, स्वतहमारे दिमाग : में आते हैं। हो सकता है कि सभी महान न्यायाधीशों और प्रख्यात वकीलों का नाम लेना संभव न हो, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि उनमें से कुछ आज इस महती सभा का हिस्सा हैं।

"गौहाटी उच्च न्यायालयकानून के संरक्षक और न्याय के रक्षक के रूप " में पिछले75 वर्षों से न्याय की वकालत कर रहा है। इसने अपनी उच्च परंपरा को बनाए रखते हुए भारत के संविधान पर आधारित न्याय की विरासत को आगे बढ़ाया है। इस तरह के आयोजन से हमें पुनरावलोकन करने का भी अवसर मिलता है, जैसे कि क्या हम अपनी उस विरासत - को संरक्षित कर रहे हैं जो हमें अपने वरिष्ठों से विरासत में मिली है? क्या हम अपनी छवि को और बढ़ा रहे हैं या कुछ नुकसान हुआ है? जनता न्यायपालिका को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का अंतिम संरक्षक मानता है। क्या हम न्यायपालिका पर जनता की उस आस्था और भरोसे को कायम रखने में सफल हुए हैं?

"न्याय" हमेशा सुलभ, सस्ता और शीघ्र होना चाहिए। न्याय तभी सुनिश्चित होगा जब कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो। यदि न्याय सस्ता और सुलभ नहीं है, तो भारत जैसे देश में यह किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। जहाँ तक शीघ्र न्याय प्रदान करने की बात है, हम सभी जानते हैं कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इंकार -

होता है।

भारत की न्यायिक प्रणाली की शक्ति और कमजोरी, लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हमारे न्यायालय की उपयोगिता और विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर है कि यह जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को कैसे पूरा करता है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के शुभ अवसर पर मैं एक बार फिर सभी पूर्व और वर्तमान न्यायाधीशों , असम सहित उत्तर-पूर्व भारत सभी वकीलों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

जय हिन्द।